भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1645

जिसका उत्तर 2 मार्च, 2020/12 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया गया

बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

1645.श्री पी॰पी॰ चौधरी:

श्रीमती अनुप्रिया पटेलः

श्री एम॰ बदरुद्दीन अज़मलः

श्री मनोज कोटकः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कदाचार के जोखिम और अशोध्य ऋणों को कम बताने से निपटने के लिए कोई प्रावधान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या बैंकों को सरकार की सहायता के बावजूद भी राष्ट्रीयकृत बैंकों को अत्यधिक गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीएएस) का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान 29 फरवरी, 2020 तक एनपीएएस सहित बैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बैंक धोखाधड़ी वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बढ़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा बैंक धोखाधड़ी और राष्ट्रीयकृत बैंकों के एनपीए मुद्दों का समाधान करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ड.): वैश्विक परिचालनों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों का कुल सकल अग्रिम, जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 11,33,137 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 34,03,717 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के पाए गए मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पद्धति, इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी, कर्मचारी कदाचार/कुछेक मामलों में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक मंदी है। परिशुद्ध एवं पूर्णत: प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्र के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से एनपीए में अत्यधिक वृद्धि का पता चला। वर्ष 2015 में शुरु की गई एक्यूआर तथा बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के

परिणामस्वरूप दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में अनुमानित हानियों, जिनके लिए पुनर्संरचित ऋणों के लिए प्रदान किए गए लचीलेपन के अंतर्गत पूर्व में प्रावधान नहीं किए गए थे, के लिए प्रावधान किए गए। इसके अतिरिक्त, दबावग्रस्त ऋणों के लिए पुनर्संरचना हेतु ऐसी सभी योजनाओं को समाप्त कर दिया गया था। मुख्यतया दबावग्रस्त आस्तियों की एनपीए के रूप में पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, वैश्विक परिचालनों के संबंध में आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों का सकल एनपीए, जो दिनांक 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार, 1,92,809 करोड़ रुपए था, जो 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 6,16,586 करोड़ रुपए हो गया तथा पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधार की सरकार की कार्यनीति के परिणामस्वरूप अब दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार घटकर (राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा घोषित नतीजों के अनुसार) 5,56,991 करोड़ रुपए हो गया है। दिनांक 29.02.2020 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के एनपीए के संबंध में आरबीआई ने सूचित किया किया है कि बैंकों द्वारा एनपीए संबंधी आंकडा तिमाही अंतराल पर प्रदान किया जाता हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के सकल एनपीए का बैंकवार विवरण अनुबंध में हैं:-

जवाबदेह और स्वच्छ प्रणाली के लिए सरकार ने एनपीए की पारदर्शी पहचान, समाधान और दबावग्रस्त खातों से धन की वसूली, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पुनर्पूंजीकरण और पीएसबी व व्यापक वित्तीय प्रणाली में सुधार की व्यापक कार्यनीति लागू की है। पीएसबी के एनपीए को कम करने के लिए सरकार की कार्यनीति के अंतर्गत उठाए गए व्यापक कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के गठन के साथ ऋण संस्कृति में परिवर्तन होने से ऋणदाता-कर्जदार के संबंधों में मूलभूत बदलाव, चूककर्ता कंपनी के प्रवर्तकों/स्वामियों से कंपनी का नियंत्रण छीन लेना और समाधान प्रक्रिया से इरादतन चूककर्ताओं को प्रतिबंधित करना एवं उन्हें बाजार से निधियां जुटाने से प्रतिबंधित करना।

(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी अधिनियम) को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसे संशोधित किया गया है, जिसमें उधारकर्ता द्वारा आस्ति विवरण न दिये जाने के मामले में तीन माह के कारावास तथा उधारदाता द्वारा बंधक रखी संपत्ति पर 30 दिन के भीतर कब्जा प्राप्त करने का प्रावधान है।

(3) देयराशि की वसूली के लिए बैंकों द्वारा ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) के समक्ष वाद-दायर भी किए जाते हैं। वसूली को गति प्रदान करने के लिए छः नए ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना की गई है।

(4) चालू वित्तीय वर्ष में आज तक की स्थिति सहित पिछले पांच वित्तीय वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा 2.78 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करके और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्वयं 0.40 लाख करोड़ रुपए की निधियां जुटाकर राष्ट्रीयकृत बैंकों को 3.18

लाख करोड़ रुपये की सीमा तक पुनर्पूंजीकृत किया गया है जिससे राष्ट्रीयकृत बैंक एनपीए का समय पर समाधान करने में सक्षम बन सके हैं।

(5) सार्वजनिक क्षेत्र बैंक सुधार एजेंडा के भाग के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों में किए गए मुख्य सुधारों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों की बोर्ड अनुमोदित ऋण नीतियों में संवितरण से पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन तथा संबद्धता, परियोजना वित्तपोषण में समूह तुलन-पत्र की जांच करना और नकदी प्रवाह को सीमित करना एवं गैर-निधि और अंतिम जोखिम के मूल्यांकन को अनिवार्य किया गया है।

(ii) आंकड़ा स्रोतों में व्यापक सम्यक तत्परता के लिए तृतीय पक्ष आंकड़ा स्रोतों के उपयोग को लागू किया गया है और इस प्रकार गलत तथ्य प्रस्तुत करने और धोखाधड़ी के कारण होने वाले जोखिम को कम किया गया है।

(iii) उच्च मूल्य वाले ऋणों की स्वीकृति और निगरानी की भूमिकाओं को पूरी तरह से अलग कर दिया गया है और 250 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों की प्रभावी निगरानी के लिए वित्तीय तथा संबंधित क्षेत्र दोनों का ज्ञान रखने वाली विशेषज्ञ निगरानी एजेंसियों को तैनात किया गया है।

(iv) एकबारगी निपटान (ओटीएस) में समयबद्ध और बेहतर वसूली सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन आद्योपान्त (एंड टू एंड) ओटीएस प्लेटफार्म स्थापित किए गए हैं।

उपर्युक्त उपायों से वैश्विक परिचालनों के संबंध में आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों का सकल एनपीए, जो दिनांक 31.03.2018 को 6,16,586 करोड़ रुपए के शीर्ष पर पहुंच गया था जो दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार (राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा घोषित नतीजों के अनुसार) घटकर 5,56,991 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 86,014 करोड़ रुपए की रिकार्ड वसूली सहित पिछले पांच वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में 3,08,370 करोड़ रुपए की रिकार्ड वसूली की है।

बैंक धोखाधड़ियों की जांच हेतु किए गए व्यापक उपायों से धोखाधड़ी के घटित होने के वर्ष के अनुसार 1 लाख तथा इससे अधिक की धोखाधड़ी में अंतर्ग्रस्त राशि में कमी आई है, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में 12,411 करोड़ रुपए की तुलना में तेजी से कम होकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में 11,120 करोड़ रुपए तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली तीन तिमाहियों में कम होकर 3,739 करोड रूपये हो गया है।

बैंक धोखाधड़ियों पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:-

(1) धोखाधड़ी जोखिम की समय पर पहचान करने, उसे नियंत्रित करने तथा इसमें कमी लाने और ऋण मंजूरी प्रक्रिया के दौरान सम्यक तत्परता बरतने हेतु केन्द्रीय

धोखाधड़ी रजिस्ट्री के रूप में बैंकों द्वारा सूचित धोखाधड़ियों का ऑनलाइन सर्चेबल डाटाबेस तैयार किया गया है।

(2) भगौड़े आर्थिक अपराधियों की सम्पत्ति को कुर्क करने, ऐसे अपराधियों की सम्पत्ति को जब्त करने और अपराधियों को किसी सिविल दावे की पैरवी करने के हक से वंचित करने के लिए भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 को अधिनियमित किया गया।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह सलाह दी गयी है कि:

(क) 50 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण सुविधा प्राप्त करने वाली कंपनियों के प्रवर्तकों/निदेशकों तथा अन्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पासपोर्ट की सत्यापित प्रति प्राप्त करें और

(ख) आरबीआई के अनुदेशों एवं अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार इरादतन चूककर्ताओं की फोटो प्रकाशित करने का निर्णय लें और

(ग) अधिकारियों/कर्मचारियों का आवर्तिक (रोटेशनल) स्थानांतरण सुनिश्चित करें।

(4) पीएसबी के प्रमुखों को लुक-आऊट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने के लिए अनुरोध करने का अधिकार दिया गया है।

(5) लेखापरीक्षा मानकों को लागू करने और लेखापरीक्षाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में की है।

(6) व्यापक वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से 3.38 लाख अपरिचालनीय कंपनियों के बैंक खातों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है।

*****

अनुबंध

राष्ट्रीयकृत बैंकों के सकल एनपीए का विवरण

राशि करोड़ रुपए में

बैंक	**वि.व. 2014-15**	**वि.व. 2015-16**	**वि.व. 2016-17**	**वि.व. 2017-18**	**वि.व. 2018-19**	**वि.व. 2019-20 (31.12.2019 तक)**
इलाहाबाद बैंक	8,358	15,385	20,688	26,563	28,705	32,150
आंध्रा बैंक	6,877	11,444	17,670	28,124	28,974	30,951
बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी)	16,261	40,521	42,719	56,480	48,233	73,140
देना बैंक	4,393	8,560	12,619	16,361	12,768	बैंक ऑफ बड़ौदा में समामेलित
विजया बैंक	2,443	6,027	6,382	7,526	8,923	
बैंक ऑफ इंडिया	22,807	49,879	52,045	62,328	60,661	61,730
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	6,402	10,386	17,189	18,433	15,324	15,746
केनरा बैंक	13,040	31,638	34,202	47,468	39,224	36,645
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	11,873	22,721	27,251	38,131	32,356	33,259
कॉर्पोरेशन बैंक	7,107	14,544	17,045	22,213	20,724	19,557
इंडियन बैंक	5,670	8,827	9,865	11,990	13,353	13,862
इंडियन ओवरसीज बैंक	14,922	30,049	35,098	38,180	33,398	23,734
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	7,666	14,702	22,859	26,134	21,717	21,634
पंजाब एंड सिंध बैंक	3,082	4,229	6,298	7,802	8,606	8,923
पंजाब नैशनल बैंक	25,695	55,818	55,370	86,620	78,473	76,809
सिंडीकेट बैंक	6,442	13,832	17,609	25,759	24,680	25,330
यूको बैंक	10,186	20,908	22,541	30,550	29,888	22,140
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	13,031	24,171	33,712	49,370	48,729	49,924
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	6,553	9,471	10,952	16,552	12,053	11,457

स्रोतः आरबीआई (वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 के लिए) और राष्ट्रीयकृत बैंक (वि.व. 2019-20 के लिए)

*****